# न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
## पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 21/2020 अपील/प्रतापगढ़
पंजीयन दिनांक– 14.02.2020
निर्णय दिनांक– 02.09.2020

1. श्री नारू पिता देवला जाति मीणा, निवासी धामनडूंगरी, तहसील पीपलखूंट, जिला प्रतापगढ़ (राज.)

................. अपीलान्ट

**बनाम**

1. श्री रामलाल पिता धीरज मीणा, निवासी धामनडूंगरी, तहसील पीपलखूंट, जिला प्रतापगढ़ (राज.)
2. मीरा पति रामलाल पिता धीरज मीणा, निवासी धामनडूंगरी, तहसील पीपलखूंट, जिला प्रतापगढ़ (राज.)

..................रेस्पोडेन्ट्स

अधिवक्ता :
श्री अतुल जैन : अधिवक्ता अपीलान्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956
विरूद्ध अति. जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ के प्रकरण संख्या 39/2010
निर्णय दिनांक 14.05.2012

## निर्णय

**दिनांक–02.09.2020**

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध अति. जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ के प्रकरण संख्या 39/2010 निर्णय दिनांक 14.05.2012 के विरूद्ध दिनांक 14.09.2012 को मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, चित्तौड़गढ़, कैम्प प्रतापगढ़ को पेश की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में

पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त में दिनांक 23.01.2020 को दर्ज की गई। जिला प्रतापगढ़ से संबंधित क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को होने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानान्तरित होकर दिनांक 14.02.2020 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि आवंटन कमेटी द्वारा पत्रावली क्रमांक 13/2002 में दिनांक 04.06.2002 द्वारा रेस्पोडेंट्स के नाम गांव धामनडूंगरी में आराजी नम्बर 377 क्षेत्रफल 0.35 हैक्टेयर आवंटन की गयी। इस आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी ने विपक्षीगण को आवंटित की गयी आराजी के आवंटन को निरस्त किये जाने बाबत एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन निरस्त नही कर अपीलांट का प्रार्थना पत्र जरिये प्रकरण संख्या 39/2010 दिनांक 14.05.2012 से निरस्त कर दिये जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील अपीलांट स्वीकार किया जाने का निवेदन किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया है *"हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष के तर्क–वितर्को को सूना और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं अभिलेख का अवलोकन किया। उभयपक्षों द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार आवंटन कमेटी द्वारा मिसल नम्बर 13/2002 से प्रशासन गांव के संग अभियान में विपक्षीगणों को मौजा धमनडूंगरी की आराजी नम्बर 377 में से 0.35 हैक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया है। विपक्षीगणों द्वारा अपना पुराना कब्जा बाबत तहसीलदार द्वारा उनके विरूद्ध नाजायज कब्जा करने के कारण धारा 91 के तहत कार्यवाही करने बाबत जारी नोटिस की प्रतियां प्रस्तुत की जो वर्ष 1999 व 2001 के है जिनमें विपक्षीगणों को मौजा धामनडूंगरी की आराजी नम्बर 377 में से 0.35 हैक्टेयर भूमि पर नाजायज कब्जा करना अंकित किया गया है। धारा 91 के निर्णय अनुसार देय जुर्माना राशि जमा कराये जाने बाबत रसीदें भी प्रस्तुत की है। जिससे यह तो साबित हो जाता है कि आवंटन से पूर्व विपक्षीगणों का कब्जा उन्हें आवंटित भूमि पर पूर्व से ही रहा है।*

*इसी प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य में अपना पुराना कब्जा बाबत तहसीलदार द्वारा उनके विरूद्ध नाजायज कब्जा करने के कारण धारा 91 के तहत कार्यवाही करने बाबत जारी नोटिस की प्रतियां*

*प्रस्तुत की जो वर्ष 1999, 2001 व 2003 के है जिनमें विपक्षीगणों को मौजा धामनडूंगरी की आरजी नम्बर 377 में से 0.10 हैक्टेयर भूमि पर नाजायज कब्जा करना अंकित किया गया है।*

*तहसीलदार पीपलखूंट द्वारा विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट पटवारी से मंगवाई गई जिसमें आराजी नम्बर 377 रकबा 0.35 हैक्टेयर भूमि विपक्षीगण के खातेदारी मे दर्ज है। प्रार्थी का आराजी नम्बर 223/451 रकबा 0.25 हैक्टेयर पर कब्जा है एवं 0.01 हैक्टेयर भूमि में कुआ खोद रखा है।*

*उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रार्थी के कब्जे वाली भूमि का आवंटन विपक्षीगणों को नही हुआ है, दोराने वकील विपक्षीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके अनुसार प्रार्थी को आराजी नम्बर 377/451 का आवंटन हुआ है और इसी आराजी में प्रार्थी का कब्जा होकर कुआ खोद रखा है और यह तथ्य गलत अंकित कया है कि उसका कब्जा आराजी नम्बर 377 में होकर इसी आराजी में कुआ खोद रखा है। जिससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि आवंटन कमेटी द्वारा विपक्षीगणों को किया गया आवंटन उद्घोषणा जारी होकर प्रशासन गांव के संग अभियान में मजमें आम में भू आवंटन सलाहकार समिति की राय से विधि अनुसार किया गया है। अंततः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र " अंतर्गत नियम 14(4) आवंटन निरस्त हेतु " को अस्वीकर किया जाना उचित प्रतित होता है। तथा साथ ही यह भी आदेश दिया गया कि उपरोक्त विवेचन की रोशनी में विपक्षीगणों को प्रशासन गांव के संग अभियान में भू आवंटन सलाहकार समिति की राय अनुसार किया गया आवंटन उचित है, जिसे बहाल रखा जाता है। प्रार्थी द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त कराये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र " अंतर्गत नियम 14(4) आवंटन निरस्त हेतु " को अस्वीकार/खारिज किया जाता है।*

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री अतुल जैन उपस्थित व रेस्पोडेंट बावजूद सूचना अनुपस्थित। उपस्थित अधिवक्ता की बहस दिनांक 27.08.2020 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि आवंटित भूमि पर बरसों से अपीलांट का कब्जा है व फसल काश्त करता चला आ रहा है रेस्पोडेंट का उक्त भूमि पर कब्जा नही है, इसलिए रेस्पोडेंट के पक्ष में जो आवटन आदेश पारित किया है वह आवंटन आदेश किसी भी स्थिति में कायम रहने योग्य नही होने से निरस्त किये जाने योग्य है तथा तहसीलदार, पीपलखूट के पत्रांक 544 दिनांक 31.07.2009 से पटवारी रामपुरिया से मंगवाई गई रिपोर्ट में अंकित मौके के अनुसार इस आराजी नम्बर 377 रकबा 0.35 हैक्टेयर भूमि पर श्री नारू पिता देवला मीणा काबिज होकर काश्त करता आ रहा है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नजरअंदाज किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

हमने उपस्थित अधिवक्ता की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में हम सर्वप्रथम मियाद आवेदन पर निर्णय करना उचित समझते है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.05.2012 को किया गया है तथा यह अपील अपीलीय न्यायालय में दिनांक 14.09.2012 को प्रस्तुत हुई है। अपीलाण्ट द्वारा दफा 5 मियाद अधिनियम के आवेदन में उसे अधिवक्ता द्वारा निर्णय की जानकारी नहीं देने एवं उसके पश्चात् अस्वस्थ्य होने के कारण अपील विलम्ब से पेश करने का निवेदन किया है। ताइद में शपथ–पत्र भी दिया है। अत्यल्प विलम्ब, न्यायहित एवं अखण्डित शपथ–पत्र के आधार पर मियाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रशन है, हमारे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपील मेमो, बहस व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया गया तथा यह पाया कि आराजी नं0 377 रकबा 0.35 हैक्टेयर का रेस्पोंडेण्ट को आवंटन भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 04.06.2002 को किया गया है। उक्त आवंटन को अविधिक होने का आधार अपीलाण्ट प्रमुख रूप से इस भूमि पर अपना अतिक्रमण होना/कब्जा हाना बताता है। प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा पेशशुदा अधीनस्थ न्यायालय के दस्तावेजात अनुसार वर्ष 1999 में आराजी नं0 377 रकबा 0.10 हैक्टेयर पर उसका अतिक्रमण होने के कारण धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का नोटिस दिया गया है। इसी प्रकार का नोटिस वर्ष 2000 में तथा वर्ष 2003 में दिया गया है,

अर्थात् आवंटी रेस्पोंडेण्ट को आवंटित भूमि रकबा 0.35 हैक्टेयर में से 0.10 हैक्टेयर पर अपीलाण्ट वर्ष 1999, 2000 एवं 2003 में अतिक्रमी रहा है। इसके विपरीत वर्ष 2002 में ही दिनांक 04.06.2002 को आवंटी रेस्पोंडेण्ट को भूमि का आवंटन किया जा चुका है। आवंटी रेस्पोंडेण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेशशुदा दस्तावेजात अनुसार वर्ष 1999, 2000 में उसे आवंटित आराजी नं0 377 रकबा 0.35 हैक्टेयर पर उसे भी अतिक्रमण किये जाने का नोटिस दिया गया है, अर्थात् विवादित आवंटित आराजी पर आवंटन से पूर्व दोनों का अतिक्रमण होने की साक्ष्य है। वर्ष 2003 में आवंटन के बाद अपीलाण्ट को अतिक्रमी के रूप में मान्यता दिये जाने की कोई विधिक उपादेयता नहीं है। विधि का सुस्पष्ट है सिद्धान्त है कि अतिक्रमी राजकीय भूमि पर कोई Locus Standi नहीं होता जब तक कि उक्त अतिक्रमण के निर्णय में उसे आवंटन की पात्रता इत्यादि का विश्लेषण करते हुए कोई नियमन का आदेश/अनुशंषा उसके पक्ष में उपलब्ध नहीं हो। इस प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है। प्रकरण में मौका कब्जा रिपोर्टों का भी कोई महत्व नहीं है क्योंकि विधिक आवंटी की तुलना में यदि उसकी आवंटित विधिक अधिकारों वाली भूमि पर यदि बाद आवंटन यदि किसी अन्य ने कब्जा कर भी लिया है तो वह कब्जा अतिक्रमी के रूप में है जिससे विधिक आवंटन के बरूए तवज्जों नहीं दी जा सकती, न ही उसे विधिक कहा जा सकता है।

उपरोक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का विवेचन के बाद अपीलाण्ट प्रार्थी का आवंटन निरस्तीकरण का आवेदन खारिज किये जाने में किसी प्रकार के तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं की है। अतएवं अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खाारिज की जाती है।

(एल.एन.मंत्री)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
उदयपुर